न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2018

निग./छतरपुर/भू.रा./2018/2068 कल्लू बाई पुत्री श्री घोसा, जाति–बसौड़, निवासी–ग्राम उडेनिया, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

——आवेदिका

श्री संतोष शर्मा अभि० द्वारा आज दि. 28-3-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. 28-3-18

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

——**अनावेदक**

06-04-18

<u>न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/अ–21/2015–16 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29/08/2016 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण। आदेश अनेक्जर पी/1 है।</u>

माननीय महोदय,

आवेदिका का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, आवेदिका ग्राम उडेनिया, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की निवासी होकर भूमि सर्वे कमांक 1, 28, 40, 44, 45, 47/2, 153, कुल किता 7, कुल रकवा 1.86 हेक्टेयर स्थित ग्राम ग्राम उडेनिया, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की भूमि स्वामी है। ख़सरे की प्रति **अनेक्जर पी/2** है।

2. यह कि, आवेदिका द्वारा अपनी गंभीर बीमारी के इलाज हेतु एवं अपनी पुत्री की शादी किये जाने हेतु पैसों की आवश्यकता होने के कारण आवेदिका द्वारा उक्त भूमि में से भूमि सर्वे कमांक 28 रकवा 0.336 हेक्टेयर को विकय किये जाने हेतु श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/अ–21/2015–16 को आवेदिका को आदेश की सूचना दिये बगैर आवेदिका की अनुपस्थिति

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2018 / 2068

कल्लू बाई विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपर कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री संतोष शर्मा अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 31 / अ–21 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29–08–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 18/3/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	